



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240292
CG-DL-E-15112022-240292

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5081]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 5081]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5301(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5198 (अ) तारीख 14 दिसम्बर 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 4817 तारीख 14 दिसम्बर 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 14 जनवरी 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुक : हिरियूर		जिला : चित्रदुर्ग	राज्य : कर्नाटक	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	कुरुबारहल्ली	7/8	00	01
2		6/5	00	07
3		17	00	04
4		7/2B	00	02
5		24/3	00	06
6		31/3	00	16
7		31/4	00	03
8		29	00	03
9		8/1	01	11
10		8/4	00	17
11		38/7	00	02
12		38/5	00	01
13		38/6	00	01
14	कोडिहल्ली	93/5	00	12
15		92/5	00	01
16		92/4	00	01
17		89/10	00	03
18		88/4	00	01
19		82/6	00	17
20		82/7	00	02
21		83	00	01

22		303	00	02
23		293	00	13
24		112/4	00	02
25		112/3	00	09
26		310/3	00	12
27		307/2	00	13
28		306	00	12
29		305	00	13
30		304/2	00	14
31		309/3	00	11
32		309	00	01
33		295	00	28
34		308	00	12
35		340	00	20
36		342	00	19
37		338	00	12
38		343	00	07
39		341	00	21
40		291	00	18
41		288	00	16
42	हलगलादी	209	00	23
43		207	00	02
44		208	01	07
45		69/11	00	01
46		69/16	00	01
47		69/10	00	15
48		220	00	05
49		219	00	19
50		259	00	37
51		60	00	07
52		262	00	07
53		263	00	10
54		236	00	12
55		264	00	04
56		244	00	20

57	खंडेनहल्ली	184	00	03
58		186	00	18
59		176	00	01
60		162/2	00	04

[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-1/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5301(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 5198 (E) dated the 14th December, 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.4817 dated the 14th December, 2021, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Karnataka for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 14th January 2022.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluk : Hiriyur		District : Chitradurga	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	Kurburahalli	7/8	00	01
2		6/5	00	07
3		17	00	04
4		7/2B	00	02

5		24/3	00	06
6		31/3	00	16
7		31/4	00	03
8		29	00	03
9		8/1	01	11
10		8/4	00	17
11		38/7	00	02
12		38/5	00	01
13		38/6	00	01
14	Kodihalli	93/5	00	12
15		92/5	00	01
16		92/4	00	01
17		89/10	00	03
18		88/4	00	01
19		82/6	00	17
20		82/7	00	02
21		83	00	01
22		303	00	02
23		293	00	13
24		112/4	00	02
25		112/3	00	09
26		310/3	00	12
27		307/2	00	13
28		306	00	12
29		305	00	13
30		304/2	00	14
31		309/3	00	11
32		309	00	01
33		295	00	28
34		308	00	12
35		340	00	20
36		342	00	19

37		338	00	12
38		343	00	07
39		341	00	21
40		291	00	18
41		288	00	16
42	Halagaladdi	209	00	23
43		207	00	02
44		208	01	07
45		69/11	00	01
46		69/16	00	01
47		69/10	00	15
48		220	00	05
49		219	00	19
50		259	00	37
51		60	00	07
52		262	00	07
53		263	00	10
54		236	00	12
55		264	00	04
56		244	00	20
57	Khandenahalli	184	00	03
58		186	00	18
59		176	00	01
60		162/2	00	04

[F. No. R- 12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.